# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2856 सन् 2026**,
हुसनारा पुत्री इस्लामुद्दीन, निवासी मौहल्ला नौसाना, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर हाल निवासी नासिर का मकान फूल वाली गली, नूर मस्जिद के पास फैसलाबाद, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदिका/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः—336 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः—108 बी.एन.एस.
थानाः—कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।

**निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

**01.** यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रथम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

**02.** आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

**03.** संक्षेप में प्राथमिकी के कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कामिल पुत्र शकील, निवासी ग्राम सराय छबीला, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर ने थाना हाजा पर सूचना दी कि वादी की बहन गुलिस्ता की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व हाशिम के साथ हुई थी। वादी की बहन अपने चार बच्चों के साथ अपनी ससुराल सराय छबीला में रही रहती थी। वादी की बहन का पति हाशिम का हुसनारा से करीब 7 वर्ष पूर्व से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका पता वादी की बहन को चलने पर वादी की बहन ने हाशिम को समझाने का काफी प्रयास किया, तो हाशिम ने हुसनारा के साथ मिलकर वादी की बहन के साथ काफी मारपीट की व गाली गलौच करके उसका उत्पीडन करते थे। दिनाँक 20.03.2026 को समय करीब 05.00 बजे वादी की बहन ने मानसिक तनाव में आकर तेजाब पी लिया, जिससे उसकी उसकी बहन की हालत बहुत नाजुक हो गई, गर्ग हास्पीटल में एडमिट कराया लेकिन हालत बहुत नाजुक होने के कारण वादी की बहन को राममनोहर लोहिया, दिल्ली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दिनाँक 02.04.2026 को उसकी बहन की मृत्यु हो गयी। अभियोग पंजीकृत कर प्रचलित हुई।

**04.** आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदिका/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नही किया। आवेदिका/अभियुक्त की दो शादी हुई थी, पहले पति से आवेदिका/अभियुक्ता का तलाक हो गया था। आवेदिका/अभियुक्ता व हाशिम की शादी दिनांक 09.01.2026 को हो चुकी थी। आवेदिका/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नही है। आवेदिका/अभियुक्त दिनाँक 23.05.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। इन कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**05**. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अग्रतेर कथन में जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्ता के हासिम से प्रेम संबंध काफी समय से थे, जिसका मृतका विरोध करती थी। अभियुक्ता द्वारा पुलिस को निकाह से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये थे। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्ता की अपराध में संलिप्तता है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**06**. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**07**. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोप है कि आवेदिका/अभियुक्ता तथा सह–अभियुक्त हाशिम (मृतका गुलिस्ता के पति) के आपसी अवैध सम्बन्धों के कारण वादी की बहन गुलिस्ता (मृतका) ने तेजाब/जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी।

अभियोजन के अनुसार अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी की बहन गुलिस्ता (मृतका) की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व हाशिम के साथ हुई थी तथा वादी की बहन अपने 4 बच्चो के साथ अपनी ससुराल में रहती थी। वादी की बहन गुलिस्ता के पति हाशिम (सह–अभियुक्त) का आवेदिका/अभियुक्ता से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका पता चलने पर उक्त गुलिस्ता ने विरोध किया तथा अपने पति को काफी समझाने का प्रयास किया, तो गुलिस्ता के पति हाशिम (सह–अभियुक्त) व आवेदिका/अभियुक्ता के साथ मिलकर गुलिस्ता के साथ काफी मारपीट, गाली गलौंच करके उसे प्रताड़ित किया और जान से मारने की धमकी दी। गुलिस्ता (मृतका) ने अपने पति हाशिम (सह–अभियुक्त) व आवेदिका/अभियुक्ता को घर में अवैध सम्बन्ध बनाते हुए देख लिया, जिससे मृतका मानसिक तनाव में आ गयी और गुलिस्ता (मृतका) ने तेजाब/जहरीला पदार्थ पी लिया एवं दौराने ईलाज गुलस्ता की मृत्यु हो गयी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि आवेदिका/अभियुक्ता ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयानों में सिर्फ यह बताया कि उसने हासिम से करीब 5 माह पूर्व निकाह कर लिया था, परन्तु आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा निकाह से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

मृतका गुलिस्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Injury Number 1. Excoriation of skin with blackish brown discoloration present over the perioral region on right side, involving lips and adjoining skin. In an area of size 4 cm x 3 cm, suggestive of corrosive burn injury. OPINION Cause of Death The cause of death is septicemic shock and its complications, subsequent to acid ingestion. However viscera has been preserved for toxicological analysis. दर्शित है।

आवेदिका/अभियुक्ता प्राथमिकी में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता की अपराध में प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका दर्शित है। आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता हुसनारा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता हैं।

**(संजय सिंह–I)**
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026